

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्या:पी0सी0एच0-एच0बी0(6)5/2013-III-I/259879/2023

12-10-2023

कार्यालय आदेश

पंचायती राज विभाग की स्थापना के अधीन पंचायत निरीक्षक के पदों पर कार्यरत निम्न लिखित कर्मचारियों को उनके नामों के आगे दर्शाए गए कार्यालयों में जनहित में तत्काल स्थानांतरित/समायोजित किया जाता है:-

क्र०स०	कर्मचारी का नाम व पद	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानांतरण/समायोजन उपरान्त तैनाती स्थान
1	श्री बलबीर चन्द पंचायत निरीक्षक	विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना।	विकास खण्ड भोरंज जिला हमीरपुर में श्री राकेश कुमार, पंचायत निरीक्षक के स्थान पर।
2	श्री राकेश कुमार पंचायत निरीक्षक	विकास खण्ड भोरंज जिला हमीरपुर।	विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना में श्री बलबीर चन्द पंचायत निरीक्षक के स्थान पर।
3	श्री करण कुमार पंचायत निरीक्षक	विकास खण्ड देहरा जिला कांगड़ा	विकास खण्ड बडोह जिला कांगड़ा में पंचायत निरीक्षक के रिक्त पद के प्रति।

उक्त कर्मचारियों को वर्तमान कार्यरत स्थान से स्थानान्तरित स्थान पर उपस्थिति देने हेतु किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/कार्यग्रहण समय देय नहीं होगा।

(आदेश द्वारा)
निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09.

संख्या:पी0सी0एच0-एच0बी0(6)5/2013-III- शिमला-09

दिनांक 12-10-2023

प्रतिलिपि:-

1. जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, हमीरपुर व कांगड़ा को सूचनार्थ।
2. जिला कोषाधिकारी, ऊना, हमीरपुर व कांगड़ा को सूचनार्थ।
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना, भोरंज जिला हमीरपुर, देहरा व बडोह, जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
5. सम्बन्धित कर्मचारियों की निजी पत्रावली।
6. गार्ड पत्रावली।

Signed by
Niraj Chandla

Date: 12-10-2023 15:41:43

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.